-प्रेस नोट-

दिनांकः **04.11.2026**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरणः- दिनांक 16.09.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त दिवाकर पुत्र सोरण निवासी ग्राम दोडबसी थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार द्वारा वादी का नाबालिक पुत्री बहलाफुसला कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0- 676/2026 धारा 137(2) BNS पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे विवेचनात्मक कार्यवाही में पीडिता के बयानो के आधार पर धारा 65(1) bns व ¾ (2) पोक्सो अधि0 की वृध्दि की गयी।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द श्री सन्दीप बालियान के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में **01 वांछित दिवाकर पुत्र सोरण निवासी ग्राम दोडबसी थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार** को जामियातिबीया कासिमपुरा तिराहे के पास कस्बा देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दिवाकर पुत्र सोरण निवासी ग्राम दोडबसी थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1212 अनुज कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. म0है0का0 1223 बबीता थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांक- 04.11.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा यातायात माह के दृष्टिगत चेकिंग के दौरान यातायात नियमों को उलंघन करने वाले 13 वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए 04 मोटरसाइकिलों को किया गया सीज

अवगत कराना है कि ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर*** *के निर्देशन में* ***यातायात माह के अन्तर्गत*** *अपराध की रोकथाम व यातायात नियमों का उलंघन करने वाले, बिना नम्बर प्लेट , प्रेशर हार्न लगाकर वाहन चलाने व बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालो के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी चिलकाना श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 03.11.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उलंघन करने वाले 13 वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए 05 मोटरसाइकिलों (1) रजि0 न0- UP 11-BW-7729, (2) रजि0 न0- UP 11-CC-6805, (3) HR 05 M 3392, (4), UP 11 DC 8862 को बिना प्रपत्रों के कब्जे में लेकर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज कर थाना परिसर मे खडा कराया गया।*

सीज किये गये वाहनो का विवरण

(1) 01 बुलट रजिस्ट्रेशन नं0 UP 11-BW-7729
(2) 01 हीरो होन्डा रजिस्ट्रेशन नं0 UP 11-CC-6805
(3) 01 स्पलैण्डर रजिस्ट्रेशन नं0 HR 05 M 3392
(4) 01 स्पलैण्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नं0 UP 11 DC 8862

सीज करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. *थाना प्रभारी श्री अक्षय शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
2. *व0उ0नि0 श्री राजकुमार चौहान थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
4. *उ0नि0 श्री सुखबीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
5. *का0 1349 नितिन धनकड़ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
6. *का0 1700 दीपक कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांकः **04.11.2026**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्दीप बालियान के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. नितिन कुमार उर्फ काला पुत्र जयकुमार निवासी ग्राम मोहिद्दीनपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व 2. अनिल कुमार पुत्र करण निवासी ग्राम मोहउद्दिनपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद सं0 1550/15 धारा 323/504/506 भादवि मा0 न्यायालय सिविल मा0 न्या0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द,सहारनपुर द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू में ग्राम मोहिद्दीनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. *नितिन कुमार उर्फ काला पुत्र जयकुमार निवासी ग्राम मोहिद्दीनपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*
2. *अनिल कुमार पुत्र करण निवासी ग्राम मोहउद्दिनपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. *उ0नि0 श्री सौरभ राठौर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*
2. *का0 2078 सतेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*
3. *रि0का0 714 आकाश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*
4. *रि0क0 724 सुमित कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांकः **04.11.2026**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारन्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा कार्यवाहक थानाध्यक्ष सौरभ यादव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर ***02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. श्यामू पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित मु0अ0स0 85/2006 धारा 60 आब0 अधि0 सम्बन्धित थाना बिहारीगढ में ग्राम कुरड़ीखेड़ा से व* ***2. बावेश उर्फ रोहित पुत्र श्याम सिह निवासी ग्राम नौरंगपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित मु0अ0स0 168/2020 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बिहारीगढ में ग्राम नौरंगपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. श्यामू पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. बावेश उर्फ रोहित पुत्र श्याम सिह निवासी ग्राम नौरंगपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. कार्यवाहक थानाध्यक्ष श्री सौरभ यादव थाना बिहारीगढ सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री संजीव यादव थाना बिहारीगढ सहारनपुर
3. का0 528 दिशू थाना बिहारीगढ सहारनपुर
4. का0 543 विशेष थाना बिहारीगढ सहारनपुर
5. का0 61 गौतम थाना बिहारीगढ सहारनपुर

दिनांक 04.11.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त असद पुत्र मेहरबान निवासी पीर वाली गली गली न0 21 मण्डी समिति रोड थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को **मण्डी समिति परिसर के पास** से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 548/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

असद पुत्र मेहरबान निवासी पीर वाली गली गली न0 21 मण्डी समिति रोड थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *150 ग्राम अवैध चरस*

अपराधिक इतिहास –

1. *मु0अ0सं0 256/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 152/2026 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *प्र0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 1269 धीरज मावी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
4. *का0 2256 प्रेम कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांकः04.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 02 NBW वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में एनबीडब्लू वारण्टियो से सम्बन्धित अपराधियो की धरपकड व गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी श्री प्रमोद कुमार थाना बडगांव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगांव पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान **02 NBW वारण्टी अभियुक्तगण 1. मुनेश पुत्र सुमेरचन्द निवासी ग्राम बढेडी मजवता थाना बडगांव जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 15/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव व वाद संख्या 135/21 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बडगांव में ग्राम बढ़ेड़ी मजवता से व **2.अंकित पुत्र विनोद धीमान निवासी ग्राम चिराऊ थाना बडगांव जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 216/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बडगांव में ग्राम चिराऊ से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पताः-

1. मुनेश पुत्र सुमेरचन्द निवासी ग्राम बढेडी मजवता थाना बडगांव जिला सहारनपुर
2. अंकित पुत्र विनोद धीमान निवासी ग्राम चिराऊ थाना बडगांव जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री मौहम्मद कामिल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4. रि0का0 123 प्रभाकर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
5. रि0का0 151 बिलाल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक – 04.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर*** *के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 04.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान* ***01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त कुलवीर उर्फ कुल्ली पुत्र रामपाल गुर्जर निवासी ग्राम जानखेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद सं0 1584/19 व मु0अ0सं0 123/04 धारा 25 आर्म्स एक्ट (मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट-04, सहारनपुर) में ग्राम जानखेडा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कुलवीर उर्फ कुल्ली पुत्र रामपाल गुर्जर निवासी ग्राम जानखेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. *उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।*
2. *का 352 अरुण कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।*
3. *रि0आ0 1944 अभिषेक थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक – 04.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 03 NBW वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर*** *के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री वीरेन्द्र सिह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान* ***03 NBW वारण्टी अभियुक्तगण 1. इकबाल पुत्र वहीद निवासी मौ0 खाताखेडी जिक्रिया मस्जिद के पास खोखो के पास खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद सं. 452/2020 धारा 498ए/494/120बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट (माननीय न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी (महिलाओ के विरूद्ध अपराध सहारनपुर) नियत तिथि 15.12.2026 में खाताखेड़ी से,* ***2. अहसान उर्फ पप्पू पुत्र जहीर निवासी मौ0 खाताखेडी पानी की टंकी के पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद सं- 7537/23 धारा 4/25 आयुध अधिनियम मु0अ0स0 199/2005 (माननीय न्यायालय सीजेएम सहारनपुर) नियत तिथि 04.11.2026 में मौहल्ला खाताखेड़ी से व* ***3. हारून उर्फ राजू पुत्र भूरा उर्फ इमरान निवासी जैन कालोनी रहमानी मस्जिद के पास थाना मण्डी सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद सं0 1832/24 धारा 498 ए/323/504/506 भादवि में जैन कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. *इकबाल पुत्र वहीद निवासी मौ0 खाताखेडी जिक्रिया मस्जिद के पास खोखो के पास खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*
2. *अहसान उर्फ पप्पू पुत्र जहीर निवासी मौ0 खाताखेडी पानी की टंकी के पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
3. *हारून उर्फ राजू पुत्र भूरा उर्फ इमरान निवासी गण जैन कॉलोनी रहमानी मस्जिद के पास थाना मण्डी सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री कृष्णपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री विपिन शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 848 कपिल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
4. *है0का0 235 विनीत थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
5. *म0है0का0 है0का0 09 महबूब अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
6. *है0का0 1233 विपिन कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
7. *का0 1570 रवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
8. *रि0का0 1202 रविन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
9. *रि0म0का0 1270 निशा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 04.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा कानून एवं शाति व्यवस्था भंग होने की आशंका के दृष्टिगत 03 अभियुक्तगणो को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत चालानी कार्यवाही की गयी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष फतेहपुर श्री नरेन्द्र भडाना के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 04.11.26 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान गाँव चौन्दाहेडी व ग्राम सरदाहेडी से शान्ति व्यवस्था भंग करने के प्रयास करने वाले **03 अभियुक्तगण 1. ईशान्त पुत्र नरेश निवासी ग्राम चौन्दाहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर, 2. अरविन्द पुत्र श्रवण निवासी ग्राम चौन्दाहेड़ी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर व 3. आमिर पुत्र जरीफ निवासी ग्राम सरदाहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को शांति भंग की आशंका के दृष्टिगत थाना क्षेत्र फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. ईशान्त पुत्र नरेश नि0 ग्राम चौन्दाहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. अरविन्द पुत्र श्रवण नि0 ग्राम चौन्दाहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. आमिर पुत्र जरीफ नि0 ग्राम सरदाहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र भडाना थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. म0उ0नि0 मिथलेश राठौर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. का0 2276 देवेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. म0का0 819 संस्था यादव थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
6. म0का0 822 प्रीती थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 04.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 22 पव्वे देशी शराब यूपी मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों / शराब तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर की पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ***01 शराब तस्कर अभियुक्त आरिफ पुत्र मूदा निवासी ग्राम ख्वासपुर उर्फ हबीबपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*** *को मिर्जापुर से शेरपुर जाने वाले रास्ते पर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 22 पव्वे देशी शराब माल्टा उत्तर प्रदेश मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 351/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आरिफ पुत्र मूदा निवासी ग्राम ख्वासपुर उर्फ हबीबपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

22 पव्वे देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0- 295/23 धारा 3/5/8 सीएस एक्टथाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 150/23 धारा 2/3 गैगएस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राकेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. का0 1558 जयदीप कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. रि0का0 1510 अतुल कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

दिनांक 04.11.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध अस्लाह रखने वाले व तस्करी की रोकथाम व कारोबार में संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस द्वारा दिनांक 04.11.2026 को गस्त व चैकिंग के दौरान **01 शातिर अभियुक्त मौहम्मद तफजील पुत्र खलीक अहमद निवासी चाँद कालोनी हलवाईयान मस्जिद के पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को मण्डी समिति खंडहर बनी बिल्डिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 549/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मौहम्मद तफजील पुत्र खलीक अहमद निवासी चाँद कालोनी हलवाईयान मस्जिद के पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुशील पंवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 हरेन्द्र कुमार 2552थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 1237 विनित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांकः **04.11.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली बेहट पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 04 वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री इन्द्रेश चौहान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***04 वारंटी अभियुक्तगण 1. अतर सिंह पुत्र चतरू निवासी ग्राम खिडका जुनारदार थाना बेहट स0पुर*** *सम्बन्धित वाद संख्या 1625/2025 धारा 323/504/506 भादवि चालानी थाना बेहट स0पुर को ग्राम खिडका जुनारदार से,* ***2. नरेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र मदन राजपुत निवासी ग्राम मांडला थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *सम्बन्धित वाद सं0 5525/22 मु0अ0सं0 299/08 धारा 60(2) एक्ट एक्ट चालानी थाना बेहट को ग्राम माण्डला से,* ***3. इनाम पुत्र स्व0 मजीद निवासी ग्राम सलेमपुर थाना बेहट स0पुर*** *सम्बन्धित वाद संख्या 11356/22 धारा 323/325/504/506 भादवि चालानी थाना बेहट स0पुर को ग्राम सलेमपुर से* ***व 4. सैठी पुत्र फतेह सिंह निवासी ग्राम लतीफपुर भूड थाना बेहट स0पुर*** *सम्बन्धित वाद संख्या 11356/22 धारा 323/325/504/506 भादवि चालानी थाना बेहट स0पुर को ग्राम लतीफपुर भूड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1. *अतर सिंह पुत्र चतरू निवासी ग्राम खिडका जुनारदार थाना बेहट स0पुर*
2. *नरेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र मदन राजपुत निवासी ग्राम मांडला थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
3. *इनाम पुत्र स्व0 मजीद निवासी ग्राम सलेमपुर थाना बेहट स0पुर*
4. *सैठी पुत्र फतेह सिंह निवासी ग्राम लतीफपुर भूड थाना बेहट स0पुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बेहट सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री मो0 उमर थाना बेहट सहारनपुर*
3. *है0का0 902 गोविन्द सिंह थाना बेहट सहारनपुर*
4. *है0का0 855 विकेश तोमर थाना बेहट सहारनपुर*
5. *का0 1767 पिंकर पाल थाना बेहट सहारनपुर*
6. *का0 2183 संजू सैम थाना बेहट सहारनपुर*
7. *का0 2380 हर्वेन्द्र थाना बेहट सहारनपुर*

दिनांकः **04.11.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा कानून एवं शाति व्यवस्था भंग होने की आशंका के दृष्टिगत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत चालानी कार्यवाही की गयी

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 04.11.26 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वाले **01 फाहीम पुत्र इस्तयार निवासी चाँद कालोनी हलवाईयान मस्जिद के पास थाना मंडी जनपद सहारनपुर** को शांति भंग की आशंका के दृष्टिगत कमेला रोड मण्डी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फाहीम पुत्र इस्तयार निवासी चाँद कालोनी हलवाईयान मस्जिद के पास थाना मंडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

2. है0का0 552 हरेन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 04.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 22 पव्वे देशी शराब महबूबा मार्का बरामद

*अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 04.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान **01 शराब तस्कर अभियुक्त सुल्तान पुत्र हाजी मेहरबान निवासी बेहट अड्डा काली के मन्दिर के पास बेहट रोड थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को लालदास रोड पर कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया । कब्जे से 22 पव्वे देशी शराब महबूबा मार्का बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 550/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । अभियुक्त सुल्तान उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुल्तान पुत्र हाजी मेहरबान निवासी बेहट अड्डा काली के मन्दिर के पास बेहट रोड थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

22 पव्वे (महबूबा) देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. *उ0नि0 श्री प्रतापदत्त शर्मा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर*
2. *का0 2278 विष्णु कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांकः **04.11.2026**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***03 वारंटी अभियुक्तगण 1- गौरव पुत्र धीरज निवासी ग्राम जलालपुर थाना सरसावा स0पुर, 2- सूरज पुत्र धीरज निवासी ग्राम जलालपुर थाना सरसावा स0पुर*** *को सम्बन्धित वाद संख्या 81/26 मु0अ0स0 199/21 धारा 147/323/325/504/506 भादवि मे ग्राम जलालपुर से व* ***03- वारण्टी गोविन्दा पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम बीदपुर थाना सरसावा स0पुर*** *को सम्बन्धित वाद संख्या 5677/26 व मु0अ0स0 261/22 धारा 63 आबकारी अधिनियम में ग्राम बीदपुर से से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1- गौरव पुत्र धीरज निवासी ग्राम जलालपुर थाना सरसावा स0पुर
2- सूरज पुत्र धीरज निवासी ग्राम जलालपुर थाना सरसावा स0पुर
3- गोविन्दा पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम बीदपुर थाना सरसावा स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1- थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना सरसावा स0पुर।
2- उ0नि0 श्री रामप्रकाश शर्मा थाना सरसावा स0पुर।
3- उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना सरसावा, स0पुर।
4- उ0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा थाना सरसावा स0पुर।
5- का0 2225 रंगैश कुमार थाना सरसावा,स0पुर।
6- का0 2466 रोहित कुमार थाना सरसावा स0पुर।
7- रि0का0 2584 आलोक कुमार थाना सरसावा स0पुर।
8- रि0का0 2593 अनमोल कुमार, थाना सरसावा स0पुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक 04-11-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या-13 जनपद सहारनपुर द्वारा पोक्सो के मुकदमें में 03 अभियुक्तो को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 04-04 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा:–

अवगत कराना है, कि दिनांक 27.09.2018 को वादिनी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1- दिनेश उर्फ दोसा पुत्र भोपाल, 2- संदीप पुत्र नेत्रपाल व 3- रोहताश पुत्र महेन्द्र निवासीगण ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ बुरी नियत से कपडे फाड देना व छेडछाड करना व मारपीट व गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर मु0अ0सं0 524/18 धारा 354(क)/323 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट में थाना गंगोह जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया । उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 153/2019 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पो0 एक्ट कक्ष संख्या- 13 जनपद –सहारनपुर में विचाराधीन रहा ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या-13 जनपद सहारनपुर द्वारा ***आज दिनांक 04.11.2026 को अभियुक्तगण 1- दिनेश उर्फ दोसा पुत्र भोपाल निवासी ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह सहारनपुर, 2- संदीप पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह सहारनपुर व 3- रोहताश पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह सहारनपुर को मु0अ0सं0-524/2018 धारा 323 भादवि व 8 पोक्सो एक्ट में 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 04-04 हजार रूपये के अर्थदण्ड*** *से दण्डित किया गया ।*

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री संजय मलिक ।
विवेचक- निरीक्षक श्री सतवीर सिंह ।
पैरोकार- है0का0 शान्तनु कुमार थाना गंगोह सहारनपुर ।